निर्णय
18.3.2025

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ

कुलदीप बनाम कृष्णचन्द्र आदि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88,53 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 102 वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
05.03.2025	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 10.03.02025 को पेश हो।	
10.3.2025	वकुलाए फरिकेन उपस्थित। प्रतिवादी क्र.1 ता 3 ने जरिये वकील नन्दलाल गोदारा उपस्थित आकर वकालतनामा पेश किया जिसे दाखिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते स्टेट जवाब अग्रिम तारीख 12.3.2025 को पेश हो।	
12.3.2025	वकुलाए फरिकेन उपस्थित/PO मौजूद कोर्ट। स्टेट जवाब प्रतिवादी प्रतिवादी - स्टेटजवाब दिनांक 18.3.2025 को पेश हो	
18.3.2025	वकुलाए फरिकेन उपस्थित। स्टेट जवाब प्राप्त हुआ। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अपीलार्थी प्रतिवादी की सहमति के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाता है। पूर्ण विवरण सहित निर्णय अलग से लिखाया जाकर दाखिल किया जावे। पत्रावली नस्ख [illegible] तारीख तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.03.29 16:33:54 IST
Reason: SelfAttested